उत्तर प्रदेश शासन

खाद्य प्रसंस्करण अनुभाग

संख्या-119/2019/848/58-2-2019-600(36)/2018

लखनऊ :दिनांक:: 24 सितम्बर, 2019

शुद्धि-पत्र

शासनादेश संख्या-114/2019/799/58-2-2019-600(36)/2018, दिनांक-19.09.2019 के पैरा 4 में उल्लिखित धनराशि रू0-58.39 लाख (रूपया अठ्ठावन लाख उन्तालिस हजार मात्र) के स्थान पर धनराशि रू0-5.60 लाख (रूपया पांच लाख साठ हजार मात्र) पढ़ा जाए।

2. उक्त शासनादेश दिनांक-19.09.2019 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय। शासनादेश की शेष व्यवस्था/शर्तें यथावत रहेगी।

शकील अहमद सिद्दीकी
अनु सचिव।

संख्या-119/2019/848(1)/58-2-2018, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) कार्यालय महालेखाकार लेखा-परीक्षा (प्रथम), सत्यनिष्ठा भवन, 15 थार्न हिल रोड, प्रयागराज।
(2) आयुक्त/जिलाधिकारी, **वाराणसी** को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से उक्त का सत्यापन कराकर शासन को सूचित करने का कष्ट करें।
(3) वित्त नियंत्रक, निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उ0प्र0 लखनऊ/आहरण एवं वितरण अधिकारी, उद्यान निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(4) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0, लखनऊ।
(5) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
(6) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
(7) नियोजन अनुभाग-4 उ0प्र0 शासन।
(8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शकील अहमद सिद्दीकी)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in